8
अध्याय

8 अध्याय

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले का अनुपालन

8.1 परिचय

माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय (न्यायालय) में दायर रीट याचिका संख्या 2015 के 140 (ललित मीगलानी बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य) में, याचिकाकर्ता ने गंगा नदी के प्रदूषण पर प्रकाश डाला था। याचिका में किए गए दृढ़कथन के अनुसार, अधिकारियों ने अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन त्याग दिया था। कोर्ट ने देखा कि गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता हर दिन तेजी से घटती जा रही थी। विधायिका ने गंगा को बचाने में मदद नहीं किया था। गंगा के साथ निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक कानून की जरूरत थी। तदनुसार, 2 दिसंबर 2016 को दिए गए फैसले के जरिए अनिवार्य दिशा-निर्देश जारी करके याचिका का निपटारा किया गया था।

8.2 न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

i. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए शुरू की गई सभी केंद्रीय वित्तपोषित योजनाओं के साथ-साथ गंगा नदी के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई राशि का एक विशेष लेखापरीक्षा छह माह के भीतर करने और महामहिम भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के बाद के आदेश (28 जून 2017) द्वारा इस समय सीमा को नवंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया था।

ii. राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर हरिद्वार और ऋषिकेष में इन दोनों शहरों में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

iii. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) को छह महीने के भीतर 11 एम.एल.डी. क्षमता वाले एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।

iv. गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित सभी 21 हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं को छह महीने के भीतर उचित क्षमता के एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।

v. एन.एम.सी.जी. को तीन महीने के भीतर जगजीतपुर में 40 एम.एल.डी. क्षमता वाले एस.टी.पी. स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे।

vi. उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी.) को 180 उद्योगों, जिन्हें वर्ष 2015-16 में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थें, के खिलाफ कार्रवाई करने और तीन महीनों के भीतर इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

vii. जिन उद्योगों को वर्ष 2014-15 और 2015-16 में क्लोजर नोटिस जारी किए गए थे, उन्हें संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया था।

viii. राज्य सरकार को छह माह के भीतर राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिए गया था, क्योंकि वह राज्य अधिनियम के तहत अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में विफल रहा था।

ix. गंगा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए पर्यावरण कानूनों को सख्ती से कार्यान्वित हेतु भारत सरकार को भी राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया था और यदि राज्य बोर्ड निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है और पानी की गुणवत्ता में और गिरावट के कारण गंगा में गंभीर आपातस्थिति उठती है तो केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदुषण बोर्ड को उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को कवर करने वाले पूरे क्षेत्र में राज्य बोर्ड का कामकाज करने का आदेश दे सकती है।

x. सक्षम अधिकारियों को भी तीन महीने के भीतर जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए थें।

xi. हरिद्वार में आश्रमों को सील करने और उसे बंद करने का आदेश दिया जाएगा, यदि उनके द्वारा शोधन के बिना अशोधित सीवेज को सीधे गंगा में बहने के लिए अनुमति दी जाती है।

xii. तीन महीनों के बाद, कोई भी उद्योग/होटल/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थान को उपचार के बिना गंगा नदी में अशोधित सीवेज/औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह नहीं करेगा। विफलता की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी को इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थें। गंगा नदी में खुलने वाली सभी नालियों को तीन महीनों के बाद सील और बंद कर दिया जाना चाहिए।

xiii. गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषक इकाइयों को दूसरी जगह ले जाने का आदेश दिया गया था।

xiv. गंगा नदी के दोनों किनारों पर 500 मीटर की परिधि के भीतर, किसी व्यक्ति को खुले में, कूड़ा फेंकना/ शौच/पेशाब नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार को कारावास सहित कड़े जुर्माना लगाकर नगरपालिका कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए निर्देश दिया गया था। कोई भी व्यक्ति गंगा नदी के किनारे खुले में कूड़ा फेंकते/पेशाब/शौच करते पाया जाता है तो उस पर को ₹ 5,000/- का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य के संबंधित जिला दंडाधिकारी इन निर्देशों को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। संबंधित जिले के जिला दंडाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी घाटों और धार्मिक स्थानों पर इन निर्देशों के बारे में उपयुक्त संख्या में नोटिस बोर्डों को लगाने का निदेश दिया गया था। अनुमंडल दंडाधिकारियों को नगरपालिका कानून को उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने तक इस मामले की संज्ञान लेने की अनुमति दी गई थी। हरिद्वार में हर-की-पौड़ी पर उपयुक्त संख्या में मोबाइल मैजिस्ट्रेट की तैनात रहेगी।

xv. पूरे उत्तराखंड राज्य में 1 जनवरी 2017 के प्रभाव से प्लास्टिक के बैग के बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।

xvi. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि लोगों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल और शैम्पू का इस्तेमाल न करें। गंगा नदी में मवेशियों को स्नान करने के लिए तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया था।

xvii. उत्तराखंड राज्य के सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगना भी प्रतिबंधित था।

xviii. हरिद्वार, ऋषिकेष और डाउनस्ट्रीम में गंगा को स्वच्छ करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संख्या में स्किमर्स प्रदान करने का निदेश दिया गया था।

xix. पूरे उत्तराखंड राज्य में नगर निकायों को छह महीने के भीतर नगर निगम सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) नियमावली, 2000 के अंतर्गत ट्रिटमेंट प्लांट्स स्थापित करके वैज्ञानिक तरीके से कचरा निपटाने के निदेश दिए गए थें।

xx. गंगा नदी के तट से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर गन्ने, पल्प/पेपर इंडस्ट्रीज, डिस्टिलरीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आदि जैसे पानी पर आधारित नए उद्योगों को अनुमति नहीं देने के लिए एक निदेश भी था। अब से कचड़ा ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए बिना 50 से अधिक मेहमानों की क्षमता वाले होटल सहित 50 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी नए

व्यावसायिक प्रतिष्ठान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह निदेश 100 से अधिक श्रद्धालुओं के आवास वाले बड़े आश्रमों के लिए भी लागू थी।

xxi. नगर निगम, हरिद्वार और नगर परिषद, ऋषिकेष को धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले शौचालयों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर पर्याप्त संख्या में शौचालय तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

xxii. राज्य सरकार को "नदी संरक्षण क्षेत्र" घोषित करना चाहिए, जहां सबसे ऊंचे बाढ़ डूब क्षेत्र से गंगा नदी के किनारे तक निजी के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों द्वारा कोई निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

xxiii. भारत सरकार को फैसले की तिथि से तीन महीने के भीतर गंगा नदी को स्वच्छ/संरक्षित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सिफारिश करने हेतु राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के साथ-साथ जल संसाधन विकास परिषद के सादृश्य सभी तटवर्ती राज्यों, जिससे होकर गंगा नदी बहती है, यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण व जल संसाधन विकास परिषद की तर्ज पर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। अंतरराज्यीय परिषद अपने गठन के तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार को सिफारिश करेगी। केंद्र सरकार अगले लिए तीन महीने की अवधि के भीतर ही विचार करेगी और गंगा नदी के प्राचीन गौरव को पुर्नस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

xxiv. वन अनुसंधान संस्थान को गंगा नदी के बेसिन और किनारों के लिए वानिकीकरण के लिए नए डी.पी.आर. तैयार करने के निदेश दिया गया था।

xxv. माननीय न्यायालय ने भारत सरकार को सिफारिश/सुझाव भी दिया कि वह इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए गंगा नदी के लिए विशेष रूप से कानून बनाए।

8.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस रिपोर्ट के अध्यायों में परिकल्पना की गई योजना और संस्थागत प्रक्रियाओं को कवर करने वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष, नदी गंगा के सरंक्षण के लिए योजनाओं के वित्तपोषण और क्रियान्वयन पर चर्चा की गई है। न्यायालय के निर्देशों में उठाए गए विशिष्ट मुद्दे तालिका 8.1 में हैं।

तालिका 8.1: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों से संबंधित लेखा परीक्षा निष्कर्ष

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मुद्दे</th><th>हमारी टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या हरिद्वार और ऋषिकेष में इन दो शहरों में सीवेज लोड को ध्यान में रखते हुए मलजल शोधन संयंत्रों की क्षमता अदालत के निर्णय की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से तीन महीने के भीतर बढ़ा दी गई है?</td><td>हरिद्वार में तीन एस.टी.पी. और ऋषिकेष में एक एस.टी.पी. हैं। हरिद्वार और ऋषिकेष का सीवेज लोड क्रमश: 107.2 एम.एल.डी. और 16 एम.एल.डी. है, जिसके विरुद्ध आज तक 63 एम.एल.डी. और छह एम.एल.डी. शोधन किया जा रहा है। इन शहरों के क्रमशः 44.2 और 10 एम.एल.डी. शेष सिवेज को बिना शोधन के नदी में गिराया जा रहा है।
वर्ष 2015 में जगजीतपुर, हरिद्वार के लिए एक 40 एम.एल.डी. शोधन क्षमता एस.टी.पी. मंजूर की गई थी, लेकिन मार्च 2016 में इसे रद्द कर दिया गया था और एन.एम.सी.जी. के आदेश पर मार्च 2017 में 68 एम.एल.डी. और 14 एम.एल.डी. क्षमता के नए एस.टी.पी. को स्वीकृत किया गया था। इसी प्रकार, ऋषिकेष में मौजूदा एस.टी.पी. की शोधन क्षमता में वृद्धि के लिए, मार्च 2017 में 26 एम.एल.डी. क्षमता के शोधन एस.टी.पी. को मंजूरी दे दी गई है। इन नए एस.टी.पी. पूरा करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा 24 महीने है। अभी तक, निर्माण के लिए बोली लगाने की प्रक्रिया चल रही है।
इसके अलावा, जगजीतपुर में 27 एम.एल.डी. क्षमता के वर्तमान एस.टी.पी. के उन्नयन और सराय, हरिद्वार में 18 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के तृतीयक शोधन को भी मंजूरी दे दी गई है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 21 दिसंबर, 2015 को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार, 11 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज शोधन संयंत्र स्थापित किया है?</td><td>अभिलेखों की समीक्षा से यह पाया गया कि एस.टी.पी. की स्थापना के संबंध में भेल-हरिद्वार आदेशों या विभिन्न विधिक प्राधिकरणों के समक्ष किए गए प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहा है:
<table>
<tr><th>आदेश की तारीख</th><th>विधिक प्राधिकरणों द्वारा पारित आदेश का विवरण</th></tr>
<tr><td>10 दिसंबर 2015</td><td>राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भेल, हरिद्वार को जनवरी 2016 तक एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया।</td></tr>
<tr><td>2 दिसंबर 2016</td><td>उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने भेल को पीसीबी, उत्तराखंड द्वारा 21 दिसंबर 2015 को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार 02 दिसंबर 2016 से छह महीनों के भीतर 11 एम.एल.डी. की एस.टी.पी. स्थापित करने का निर्देश दिया है, यदि पहले से स्थापित नहीं किया गया हो।</td></tr>
<tr><td>17 मार्च 2017</td><td>उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि भेल ने अपने महाप्रबंधक के माध्यम से नौ महीने (यानी 17</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		दिसंबर 2017 तक) के भीतर एस.टी.पी. को पूरा करने के लिए शुरू किया है। भेल ने कहा (जून 2017) कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख (दिनांक 17 मार्च 2017) से नौ महीने के भीतर एस.टी.पी. की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं।
3	क्या गंगा नदी की मुख्य धारा में स्थित सभी 21 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ने निर्माण चरण के दौरान और उसके बाद, परिचालनात्मक चरणों में, उचित क्षमता के सीवेज संयंत्र न्यायालय के निर्णय (यानी 2 दिसंबर 2016) की तारीख से छह महीने के भीतर स्थापित किए गए हैं?	स्थिति निम्नानुसार है: क. छह[93] हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं ने एस.टी.पी. स्थापित किया है। ख. दो[94] हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं में, एस.टी.पी. जुलाई 2017 तक स्थापित किया जाएगा। ग. छह[95] हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स सेप्टिक टैंक/सॉक पिट्स का उपयोग कर रहे हैं। घ. वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदा में एक[96] हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना बह गया था। ङ. छह[97] हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ने अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया है।
4	क्या एन.एम.सी.जी. न्यायालय के फैसले की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से तीन माह के भीतर जगजीतपुर में 40 एम.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करा सका?	मार्च 2017 में 68 एम.एल.डी. की कुल क्षमता के साथ एक नई एस.टी.पी. को मंजूरी दे दी गई और कार्य प्रदान कर दिया गया है।
5	180 दोषी उद्योगों, जिन्हें 2015-16 के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थें, के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा की गई कार्रवाई।	1. 180 दोषी उद्योगों जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, में से 109 मामलों में, नोटिस दिसंबर 2015 से मई 2017 तक रद्द किए गए थें। 2. 109 में से 67 दोषी यूनिट्स ने यूईपीपीसीबी के निर्देशों का अनुपालन किया। हालांकि, 42 (परिशिष्ट 1.1 के क्र. सं. 68 से क्र. सं. 109 तक) दोषी इकाइयों ने न तो कारण बताओ नोटिस का अनुपालन जमा किया और न ही निर्धारित समय के भीतर अनुपालन देखने के लिए निरीक्षण हेतु यूईपीपीसीबी से संपर्क किया। इसके अलावा, इन इकाइयों को इन इकाइयों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों में बताए गए अनुपालन अवधियों की

93 विष्णुप्रयाग, सिंगलोई भटवारी, श्रीनगर, कोटेश्वर, टिहरी और मानेरी भाली ॥

94 बीरही गंगा, भिलंगाना ॥।

95 वनाला, राजवक्ति, गंगनानी, बद्यार, भिलंगाना और देवल

96 हनुमान गंगा एक्सटेंशन ॥

97 झलाकोती, काकोरा गाद, जालंधरी गाद, सियांगड़, मेलेखेत, नायर घाटी परियोजना

		समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा स्वत: निरीक्षण किया गया और उनकी सिफारिश के आधार पर यूईपीपीसीबी द्वारा कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिए गया। 3. शेष 71 मामलों में, 32 (अनुलग्नक 1.1 के क्र. सं. 110 से सं. 141 तक) दोषी उद्योगों को गैर-अनुपालन के लिए बंद नोटिस जारी किए गए थें। तीन मामलों में, इकाइयां खुद बंद (अनुलग्नक 1.1 के क्रम संख्या 142 से 144 तक) हो गई थीं और 32 मामलों में, (अनुलग्नक 1.1 के क्रम संख्या 145 से 176 तक), दोषी इकाइयों के बीच पत्राचार और यूईपीपीसीबी अभी भी चल रहा था। यूईपीपीसीबी द्वारा चार इकाइयों (अनुलग्नक 1.1 के क्र. सं. 177 से क्र. सं. 180 तक) की केस फाइलों को लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था। 4. बंद घोषित किए गए 16 इकाइयों (अनुलग्नक 1.2) में से पांच[98] का स्थल दौरा किया गया तथा हरिद्वार जिले में स्थित इकाई का नमूना जांच किया गया था। सभी पाँच इकाइयां बंद पाई गई थीं।
6	44 डिफॉल्ट उद्योगों के संचालन की स्थिति जिन्हें वर्ष 2014-15 के दौरान यूईपीपीसीबी द्वारा बंद नोटिस दिया गया था।	1. 44 बंद नोटिस में से 23 नोटिस रद्द किए गए थें (अनुलग्नक 1.3 के क्रम संख्या 1 से क्र. सं. 23 तक) जिनमें एक मामला ऐसा भी शामिल था जहां यूनिट एनजीटी आदेशों के तहत चालू था। 2. 17 मामलों में (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 24 से क्र. सं. 40 तक), जहां डिफॉल्टर इकाइयां यूईपीपीसीबी द्वारा बंद घोषित की गईं थीं, बंद करने के लिए की गई कार्रवाई का सबूत 11 मामलों (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 24 से 34 तक) में उपलब्ध था जबकि शेष छह मामलों (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 35 से क्र. सं. 40 तक) में बंद नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अनुवर्ती गतिविधियों का कोई सबूत यूईपीपीसीबी के फाइल में उपलब्ध नहीं था। 3. चार मामलों में (अनुलग्नक 1.3 के क्र. सं. 41 से क्र. सं. 44 तक) मामला प्रक्रियाधीन था। 4. हरिद्वार जिले में स्थित 13 इकाइयों में से बंद घोषित किए गए 9 इकाइयों[99] (अनुलग्नक 1.4 के क्र. सं. 1 से

98 मैसर्स रचना इंटरप्राईजेज, पीठ बाजार, बहादराबाद, मैसर्स जैन पॉली पैकेजिंग सॉल्यूशंस, बहादराबाद, मैसर्स होटल पोलारिस रेस्तरां 48 सिविल लाइन्स, रुड़की, मैसर्स होटल अंबर, 48 सिविल लाइन्स, बस स्टैंड, रुड़की, मैसर्स होटल हाइवे, आदर्श नगर, हरिद्वार रोड, रुड़की

99 मैसर्स बाबा ब्रिकफील्ड, झाब्रेदा, मैसर्स रोशन ब्रिक फील्ड, नागला, लैंडोरा, रुड़की, मैसर्स सैवेरा ब्रिक फील्ड, बिजोल, लैंडोरा, रूड़की, मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स, बेगमपुर, मैसर्स अंचल ईंट फील्ड, बिजोली, लैंडोरा, मैसर्स अकबर खान

		क्र. सं. 9 तक) का नमूना जांच के रूप में स्थल दौरा किया गया था। यह पाया गया इस तारीख पर नौ इकाइयों में से सात (अनुलग्नक 1.4 के क्र. सं. 1 से क्र. सं. 7 तक) संचालित हो रहे थें।
7	106 डिफॉल्ट उद्योगों के संचालन की स्थिति जिन्हें 2015-16 के दौरान क्लोजर नोटिस भेजे गए थें।	1. जारी किए गए 106 क्लोजर नोटिस में से 59 (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 1 से क्र. सं. 59 तक) मामलों को रद्द कर दिया गया था (16 मामलों सहित जहां इकाइयां एनजीटी आदेशों के तहत चालू थीं)। 2. शेष 47 मामलों (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 60 से क्र. सं. 106 तक) में जहां डिफॉल्टर इकाइयां यूईपीपीसीबी द्वारा बंद घोषित की गईं थीं, 10 इकाइयों (एक सीलबंद इकाई और एक स्वयं बंद सहित) के वास्तविक बंद होने के संबंध में अभिलेख फाइलों में पाया गया था, जबकि 37 मामलों (अनुलग्नक 1.5 के क्र. सं. 70 से क्र. सं. 106 तक) में क्लोजर नोटिस जारी किए गए थें लेकिन यूईपीपीसीबी की फाइलों में अनुवर्ती गतिविधियों का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। 3. हरिद्वार जिले में स्थित 18 (अनुलग्नक 1.6) इकाइयों में से बंद के रूप में घोषित किए गए छह इकाइयों[100] का नमूना जांच के रूप में स्थल दौरा किया गया था; और यह पाया गया कि सभी इकाइयां आज की तारीख में बंद थीं।
8	क्या राज्य अधिनियम के तहत वैधानिक कर्तव्यों के गैर-निर्वहन के मामले में 1974 के जल (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम की धारा 62 के तहत यूईपीपीसीबी के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है या नहीं?	राज्य सरकार ने मार्च 2017 में पीसीबी को जल (रोकथाम और नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 62 के तहत एक नोटिस जारी किया था जिसमें बोर्ड को 45 दिनों की अवधि के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया था। यूईपीपीसीबी ने मई 2017 में अतिरिक्त सचिव, उत्तराखंड सरकार को जवाब दायर किया है।
9	क्या गंगा को सुरक्षित और संरक्षित करने हेतु पर्यावरण कानूनों का कड़ाई से कार्यान्वयन के लिए भारत	इस प्रकार की कोई भी जानकारी एन.एम.सी.जी. ने एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. द्वारा लेखा परीक्षा को नही दी है।

ब्रिक फील्ड, कलियर, रुड़की, मैसर्स चांद ब्रिक सप्लाई, नागला लेंडोरा, मैसर्स शाब्री ब्रिक फील्ड, स्टेशन रोड, लंदोरा, हरिद्वार, मैसर्स इंडियन भट्टा, बिजोली, हरिद्वार

100 मेसर्स शार्प इंडस्ट्रीज, आईआईई रानीपुर, हरिद्वार, मेसर्स रलट्रोनिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, हरिद्वार, मैसर्स टेक्स प्लस टेक्सटाइल्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, बहादुरपुरसैनी, मैसर्स एसटीपी एंटरप्राइजेज, मधुपुर, रुड़की, मैसर्स राजा आईस फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार तथा मैसर्स नाजामा फैक्ट्री, दुधपुर, हरिद्वार

	सरकार ने राज्य पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जरूरी निर्देश जारी किए हैं और यदि राज्य बोर्ड दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल होता है तथा गंगा में पानी की गुणवत्ता में और अधिक गिरावट के कारण गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी और उसके अन्य सहायक नदियों को कवर करने वाले पूरे क्षेत्र में राज्य बोर्ड के कार्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को आदेश दे सकता है?	
10	जल (निवारण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ-साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत	यूईपीपीसीबी के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 37 इकाइयों के खिलाफ अदालती मुकदमे दायर किए गए थें, जिनमें से छह मामलों को अदालत ने ₹ 5.30 लाख की जुर्माना लगाए जाने के बाद निपटान किया था जिसे उल्लिखित इकाइयों द्वारा जमा किया गया था। शेष 31 मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है इसके अलावा, प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दोषियों के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है।
11	गंगा नदी में अशोधित सीवेज को अनुमति देने वाले आश्रमों को बंद करना।	यूईपीपीसीबी ने जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी हरिद्वार (फरवरी 2017) को गंगा नदी में अपरिष्कृत सीवेज बहाने वाले पांच आश्रमों को सील करने और बंद करने के निर्देश दिए। नगरपालिका आयुक्त, हरिद्वार ने संयुक्त निरीक्षण के लिए एक समिति गठित की थी और मार्च 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि सभी पांच आश्रमों ने अपने सेप्टिक टैंक स्थापित किए हैं, जिन्हें जल संस्थान द्वारा साफ किया जा रहा है। इस प्रकार, इस समिति के निष्कर्षों के अनुसार, ये पांच आश्रम आज तक गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित नहीं कर रहे थें।
12	गंगा नदी में अशोधित सीवेज बहाने वाले उद्योग/होटल/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थान के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा कार्रवाई।	गंगा नदी में अशोधित सीवेज प्रवाहित करने वाले तीन होटल की पहचान की गई है। इन्हें दिसंबर 2015 से जनवरी 2016 तक बंद नोटिस जारी किए गए थें। इन होटलों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाने के बाद बंद नोटिस रद्द किए गए थें। इस तिथि पर होटल चालू हैं।

13	गंगा नदी में खुलने वाले नालों के खिलाफ यूईपीपीसीबी द्वारा की गई कार्रवाई	ई.ए.एस. के अभिलेखों की जांच के दौरान और एसपीएमजी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यह पाया गया कि प्राथमिकता वाले शहरों में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में खुलने वाले सभी नालों की पहचान की गई है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी में 56.871 एम.एल.डी. सीवेज बहाने वाले 111 नाले हैं। इन 111 नालों में से 30.579 एम.एल.डी. बहाव वाले 47 नालों (अनुलग्नक 1.7 के क्र. सं. 1 से क्र. सं 15 तक) को लेखापरीक्षा की तारीख तक टैप किया गया है। इस प्रकार, 26.292 एम.एल.डी. का अपशिष्ट बिना शोधन के अभी भी नदी या इसकी सहायक नदियों में गिर रहा है। इसके अलावा, सदस्य सचिव के निर्देशों के अनुसार, यूईपीपीसीबी ने पत्र संख्या 10073-2083 दिनांक 27 फरवरी 2017 के माध्यम से पेयजल निगम के प्रबंध निदेशक को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गंगा में आने वाली सभी नालियों को सील करने के लिए निर्देश दिया। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूईपीपीसीबी को सौंपी गई थी। मुख्य अभियंता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम ने सूचित किया है कि एस.टी.पी. की स्थापना के लिए मौजूदा एस.टी.पी. के उन्नयन और मुख्य गंगा स्टेम पर नालियों के अवरोधन और मोड़ के साथ एस.टी.पी. स्थापित करने के लिए नई परियोजनाओं के लिए डी.पी.आर. की मंजूरी एन.एम.सी.जी. द्वारा दे दी गई है और निविदा प्रक्रिया में है। इसलिए, यह कहा गया था कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
14	गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे प्रदूषणकारी इकाइयों का पुनर्वास	पत्र संख्या: 172 (1) X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 07 मार्च 2017 के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, दो सप्ताह के भीतर यूईपीपीसीबी द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना था और गंगा नदी के तट पर स्थित अत्यंत प्रदूषणकारी इकाइयों के संबंध में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यूईपीपीसीबी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और सूचना की जांच के दौरान, लेखा परीक्षा को सूचित किया गया कि गंगा नदी के तट पर कोई 'सबसे अधिक प्रदूषणकारी इकाई' नहीं है। हालांकि, सर्वेक्षण अभी भी प्रगति पर था।
15	गंगा नदी के दोनों ओर 500 मीटर की परिधि के भीतर गंदगी फैलाने/खुले में शौच और मूत्र त्याग करने के संबंध में लगाया गया जुर्माना।	राज्य सरकार ने "उत्तराखंड एंटी लीटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट, 2016" को 30 नवम्बर 2016 से लागू किया है जिसमें गंदगी फैलाने, पालतू जानवरों या मनुष्यों द्वारा खुले में मूत्र त्याग या शौच करने को निषेध करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अधिनियम के उल्लंघन पर ₹ 5,000 का जुर्माना या छह महीने तक का कारावास या फिर दोनों लगाया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय

		के आदेश के अनुपालन के लिए पत्र संख्या: 172 (2)/X-3-17-15 (10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार के जिलाधिकारी और पीसीबी के सदस्य सचिव को दिशा-निर्देश जारी किया है। हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी के डीएम ने एसडीएम को निर्देश जारी किए थें और डीएम, हरिद्वार ने साथ-साथ मोबाइल दंडाधिकारी को भी नामित किया था। दीवार लेखन, होर्डिंग और नियमित घोषणाओं के माध्यम से जन जागरूकता के लिए प्रचार किया जा रहा है।
16	राज्य में प्लास्टिक बैग के बिक्री, उपयोग और भंडारण का पूर्ण प्रतिबंध।	यूईपीपीसीबी के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सचिव, शहरी विकास विभाग ने सरकार के आदेश सं. 94 दिनांक 13 जनवरी 2016 के माध्यम से और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार ने सरकार के आदेश सं. 88 दिनांक 25 नवंबर 2017 के माध्यम से उत्तराखंड के सभी महानगर निगमों/परिषदों, डीएफओ/एसएसपी और परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड को राज्य में प्लास्टिक और थर्मोकल से बने बैग/ पैकिंग सामग्री की बिक्री, उपयोग और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए पत्र जारी किए थें। लागू किए गए निदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर ₹ 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। शहरी विकास विभाग के अभिलेखों की जांच में पता चला कि प्रतिबंध को लागू करते हुए यूएलबी ने अपने संबंधित क्षेत्रों में ₹ 57.94 लाख का जुर्माना लगाया/एकत्र किया है। सार्वजनिक बैठकों, दीवार लेखन, घोषणाओं और पोल कियोस्क के माध्यम से जागरूकता की जाती है।
17	राज्य सरकार कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि लोग गंगा में स्नान करने के दौरान साबुन, तेल और शैम्पू का उपयोग न करें?	उत्तराखंड सरकार ने आदेश संख्या 172 (3)/X-3-17-15 (10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को गंगा नदी में स्नान करते समय साबुन, तेल और शैंपू का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किया। मोबाइल दंडाधिकरियों की तैनाती की गई है और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
18	गंगा में मवेशियों के स्नान करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?	उत्तराखंड सरकार के पत्रांक 172(3)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के निर्देशों के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि गंगा नदी में मवेशियों के स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संबंधित डीएम ने प्रतिबंध को लागू करने के लिए एसडीएम को निर्देश जारी किया। हरिद्वार में मोबाइल दंडाधिकरी तैनात किए गए हैं।

19	राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य में सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?	राज्य सरकार ने पत्रांक 201/XVII-2/17-321(एस.ए.के.ए.)/2002 दिनांक 9 मार्च 2017 के माध्यम से राज्य के सभी पवित्र स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया। डीएम ने सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएसपी, नगर परिषद और राजस्व अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।
20	राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर रही है कि हरिद्वार, ऋषिकेष और डाउनस्ट्रीम में गंगा को साफ करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्किमर्स उपलब्ध कराए जाते हैं अथवा नहीं?	एसपीएमजी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख और सूचना की जांच के दौरान, यह देखा गया कि एन.एम.सी.जी. ने 01.01.2017 तक स्किमर्स को तैनात करने के निर्देशों के साथ दिसंबर 2016 में हरिद्वार और ऋषिकेष में मेसर्स अश्वथ इंफ्राटेक को स्किमर्स की स्थापना के लिए एक अनुबंध प्रदान किया था। संबंधित शहरी स्थानीय निकाय संवेदक के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऋषिकेष और हरिद्वार में एक-एक स्किमर 1 मई 2017 को तैनात किया गया था। वर्तमान में, ऋषिकेष पर तैनात स्किमर 25 मई, 2017 को एन.एम.सी.जी. के निर्देशों पर दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। हरिद्वार में, परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, हरिद्वार में, नगरपालिका आयुक्त ने सात अधिकारी के साथ-साथ स्किमर के दैनिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है। एकत्र कचरे के निपटान के लिए चिन्हित जगह की पहचान भी की गई है। एसपीएमजी, संबंधित यूएलबी और संवेदक के बीच त्रिपक्षीय समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
21	दिसंबर 2016 से गंगा नदी के तट पर सभी शहरों में तैनात स्किमर्स की संख्या।	मई 2017 में दो स्कीमर्स हरिद्वार और ऋषिकेष में क्रमशः एक-एक तैनात किए गए थें। हालांकि, ऋषिकेष में तैनात एक स्किमर को अब एन.एम.सी.जी. के निर्देशों पर 25 मई 2017 को दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है।
22	क्या गंगा नदी के तट पर स्थित नगर निकायों के पास वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटान के लिए कोइ रूपरेखा हैं?	राज्य के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) एक्शन प्लान (2016-21) को 2015 में तैयार किया गया है, जो कि अब 92 यू.एल.बी. को कवर करने के लिए एसब्ल्यूएम नियमों के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। ड्यूश गसेल्स्काफ्ट फर इंटरनेशनल ज़ुसममैनबीबीटी (जीआईजेड) जीएमबीएच (Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH), जर्मन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के सहयोग से 92 शहरों में से 12 शहरों के लिए एक शहर स्वच्छता योजना (सीएसपी) तैयार की जा रही है। सीएसपी सभी शहरी तरल और ठोस अपशिष्ट को कवर करेगा और कचरे के उत्पादन, संग्रह, शोधन और निपटान के लिए पूर्ण समाधान प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत 15 प्राथमिकता वाले शहरों में से 12 को कवर किया जा रहा है।

23	नगर सॉलिड वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमावली, 2000 के प्रावधान के अनुसार, न्यायालय के फैसले की तारीख (यानी 2 दिसंबर 2016) से छह माह के भीतर कचरे के निपटान के लिए नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है।	550 एमटी क्षमता की अपशिष्ट ऊर्जा परियोजना रुड़की में प्रस्तावित है। परियोजना तकनीकी समीक्षा के अंतर्गत है। यह प्रस्तावित प्लांट 18 यूएलबी यानी रुड़की, मंगलोर, लन्दुरा, भगवानपुर, झाबरेड़ा, लक्सर, हरिद्वार, भेल हरिद्वार, शिवालिक नगर, ऋषिकेष, मुनी की रेती, स्वर्गश्राम, नरेंद्र नगर, दोइवाल, देहरादून, हरबर्टपुर, विकासनगर, मसूरी (राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास निगम, उत्तराखण्ड से संबंधित) से अपशिष्ट संग्रह करेगा।
24	क्या दिसंबर 2016 से गंगा नदी के किनारे से दो किलोमीटर के दायरे के भीतर गन्ना, पल्प/ पेपर उद्योग, डिस्टिलरीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आदि जैसे नए जल आधारित उद्योगों के संचालन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्देश जारी किया गया है?	उत्तराखंड सरकार ने अपने पत्र संख्या 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से गंगा नदी के तट से दो किलोमीटर कि परिधि में गन्ने, पल्प/ पेपर उद्योग, डिस्टिलरीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आदि जैसे नए जल आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रतिबंधित कर दिया है। संबंधित जिलाधिकारियों को न तो इस तरह के आवेदनों को स्वीकार करने और न ही ऐसे उद्योग स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, यूईपीपीसीबी को भी ऐसे उद्योगों के लिए समेकित सहमति और प्राधिकरण (सीसीए) जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
25	क्या नए व्यावसायिक प्रतिष्ठान (50 से अधिक व्यक्तियों को काम पर रखनेवाले), होटल (50 से अधिक मेहमानों की क्षमता वाले), आश्रम (100 से अधिक भक्तों के रहने वाले) ने संचालन अपशिष्ट ट्रीटमेंट प्लांट या सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है?	उत्तराखंड सरकार ने पत्र संख्या 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 7 मार्च 2017 के माध्यम से न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ऐसे मामलों में क्रमशः जल अधिनियम और पर्यावरण मंजूरी के अंतर्गत सीसीए की अनुमति नहीं देने या जारी नहीं करने के लिए उद्योग विभाग, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईआईडीसीयूएल), जिलाधिकारी, यूईपीपीसीबी और राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) को निर्देश जारी किया है।
26	क्या राज्य सरकार ने उन नए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटल और आश्रमों पर कार्रवाई की है, जिनके पास ईटीपी या एस.टी.पी. नहीं है?	उत्तराखंड सरकार ने दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए 172(4)/X-3-17-15(10)/2017 दिनांक 07/03/2017 के माध्यम से उद्योग विभाग/एसआईडीसीयूएल/यूईपीपीसीबी को निर्देश जारी किया है।
27	क्या नगर निगम, हरिद्वार के साथ-साथ नगर परिषद, ऋषिकेष को द्वारा धार्मिक स्थानों में स्वच्छता बनाए	हरिद्वार में अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि भेल कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निधि के तहत 53 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और 12 जैव डायजेस्टर कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें से छह जैव डायजेस्टर कॉम्प्लेक्स चालू हालत में हैं। पांच

	रखने के लिए हवाई जहाजों में इस्तेमाल किए जाने वाले शौचालयों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर पर्याप्त संख्या में शौचालय तैयार करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं?	परिसरों का निर्माण पूरा हो चुका है और एक स्थान की पहचान अभी बाकी है।
28	क्या राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के संबंध में "नदी संरक्षण क्षेत्र" (जहां निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों को भी उच्चतम बाढ़ के मैदान से लेकर गंगा नदी के तट तक कोई निर्माण गतिविधि करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए) की पहचान की गई है?	उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम, 2012 के तहत अधिसूचना संख्या 381/11-2017/06(65)/2016 दिनांक 28.02.2017 और अधिसूचना सं. 382/11-2017/06(66)/2016 दिनांक 28.02.2017 जारी किया गया है। उत्तरकाशी और हरिद्वार जिले में नदी संरक्षण क्षेत्र के रूप में गंगा नदी के 60 किलोमीटर पहुंच को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और सभी संबंधितों से अनापत्तियां आमंत्रित की गई है। इस बाढ़ मैदानी ज़ोनिंग क्षेत्र में कार्य को निषेध और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
29	क्या राज्य सरकार द्वारा "नदी संरक्षण क्षेत्र" में निर्माण गतिविधि पर रोक लगाने के लिए कोई घोषणा जारी की गई है?	उत्तराखंड फ्लड प्लेन ज़ोनिंग अधिनियम, 2012 के तहत अधिसूचना संख्या 381/11-2017/06(65)/2016 दिनांक 28.02.2017 और अधिसूचना सं. 382/11-2017/06 (66)/2016 दिनांक 28.02.2017 जारी किए गए हैं। अधिसूचित बाढ़ डूब क्षेत्र में किए गए किसी भी निर्माण कार्य को निषेध और प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
30	क्या अंतरराज्यीय परिषद (आईएससी) की स्थापना की गई है?	अंतर्राज्जीय परिषद की स्थापना प्रगति पर है।
31	आईएससी की बैठक का विवरण क्या आईएससी ने केंद्र सरकार को कोई सिफारिशें की हैं? यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा उस तिथि के साथ जब यह किया गया।	
32	गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?	

33	इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति पर आईएससी द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई।	
34	क्या गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसीन और तटों के वनीकरण के लिए नया डी.पी.आर. वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) द्वारा तैयार किया गया है और एन.एम.सी.जी. को सौंप दिया गया है?	मार्च 2016 में एफ.आर.आई. द्वारा तैयार किए गए डी.पी.आर. को एन.एम.सी.जी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस संबंध में टिप्पणियां अध्याय 6 में शामिल हैं। एफआरआई ने राज्य सरकार को सूचित किया (फरवरी 2017) कि प्रस्तावित डी.पी.आर. को शुरुआती पांच साल के लिए कार्यान्वित करने की कल्पना की गई थी तथा जिसे आवश्यकता व संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार एक और पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
35	क्या न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विशेष रूप से गंगा नदी के लिए एमओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर/एन.एम.सी.जी. ने कोई कानून बनाया है?	नहीं